राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

क्रमांक प. 3(22) प्रसू/सूअप्र/2006 जयपुर, दिनांक : 06-01-2022

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट (suo motu disclosure) की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन सस्थान, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। पर–पक्षीय ऑडिट (Third party transparency audit) कार्य प्रारम्भ करने पर पाया गया है कि अधिकांश लोक प्राधिकरणों ने अपने विभाग की वेबसाईट पर धारा 4(1)(बी) के अनुरूप 17 बिन्दुओं की सूचना को या तो प्रकट ही नहीं की है या प्रकट भी की है, तो उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया गया है या उन्हे नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है। इससे लोक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण से संबंधित कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की पालना हेतु विभाग की ओर से समय समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये गये है, किन्तु विभागो द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है।

अतः समस्त लोक प्राधिकरणों अपने विभाग की वेबसाईट को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लेखित 17 बिन्दुओं के अनुरूप और अद्यतन करयावा जाना सुनिश्चित करावें, जिससे संबंधित विभाग की वेबसाईट पर स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं के पर–पक्षीय अंकेक्षण (Third party transparency audit) का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित किया जा सकें।

(अश्विनी भगत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।

शासन उप सचिव

Scanned with Oken Scanner

राजस्थान सरकार

हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.आरटीआई /ऑडिट /रीपा/2021/209 जयपुर, दिनांक 10.03.2022

प्रेषित:-

श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,
राजस्व आसूचना निदेशालय,
डी ब्लॉक, वित्त भवन जन पथ जयपुर (राजस्थान)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्वतः प्रकट की गयी सूचनाओं Proactive disclosure) की पर-पक्षीय ऑडिट (Third party audit) के संबंध में।

सन्दर्भ :- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ट) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 3(32) प्रसू / सूअप /2006 दिनांक 06 . 01. 2022 ।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषय में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4, विशेष रूप से धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों द्वारा, उनके प्राधिकरण की वेबसाइट पर, उनके द्वारा स्वतः प्रकट की गई सूचनाओं की पर-पक्षीय ऑडिट से सम्बंधित कार्य इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

पर-पक्षीय ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि आपके विभाग की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 4 (1)(ख) में उल्लेखित 17 बिंदुओं से सम्बंधित कोई सूचना प्रकट नहीं की गयी है,** इससे पर-पक्षीय ऑडिट से सम्बंधित कार्य सम्पादित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के अंतर्गत आपके विभाग से सम्बंधित, स्वतः प्रकटनीय सूचनाऐं, आपके विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें, जिससे पर-पक्षीय ऑडिट का कार्य सार्थक रूप से सम्पादित कर रिपोर्ट राज्य सरकार को यथा समय प्रस्तुत की जा सके।

सादर,

भवदीय,

कंसलटेंट, पर-पक्षीय ऑडिट
ह च मा रीपा, जयपुर
(0141-2706556 Ex 227)

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

1. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

1. *प्रस्तावना*

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्त्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं।

2. *उद्देश्य*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. *संरचना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसचूना निदेशालय है। निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के दो पदों पर क्रमशः राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में क्रमशः दो–दो पद वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के हैं। तीन–तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनि. वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक–एक पद वित्तीय सलाहकार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोगामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोगामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक

लेखाधिकारी ग्रेड– II, निजी सचिव, सहायक खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू–अभिलेख, वरि. सहायक एवं पटवारी के है। उपरोक्त पदों के अतिरिक्त कर सहायक के 5, कनि. सहायक के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित है।

निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे को वर्ष 2021 में पुर्नगठित किया जाकर निम्नानुसार तीन स्वतंत्र विंग गठित की गई–

1. प्रतिकरापवंचन विंग
2. जोखिम निर्धारण एवं नीतिगत नवाचार विंग
3. ऑडिट एवं विश्लेषण विंग

4. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है। इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज व निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

5. कार्मिकों का चयन

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं।

निदेशालय में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–II, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% (उनके छठें वेतनमान के अक्टूबर–2017 के मूल वेतन के 15%) की राशि का विशेष भत्ता भी देय है।

2. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

4. अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड़

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध मे जनता के सदस्यो से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

डी–ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

ई मेल sdri@rajasthan.gov.in नंबर 0141–2744841

8. ऐसे बोर्डो, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप मे या इस बारे मे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे मे कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण

लागू नहीं

9. अपने अधिकारियो और कर्मचारियों की निर्देशिका

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमो मे यथाउपबंधित हो

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर
स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 01.04.2022 तक की स्थिति

क्र. स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	पे लेवल
1.	महानिदेशक	1	1	-	लेवल 24
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	1	-	लेवल 21
3.	वित्तीय सलाहकार	1	-	1	लेवल 21
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-	लेवल 20
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	2	-	लेवल 15
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	3	-	लेवल 12
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	3	-	लेवल 10
8.	कर सहायक	5	2	3	लेवल 8
9.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	1	-	लेवल 19
10.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	2	-	लेवल 11
11.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	-	2	लेवल 10
12.	जिला आबकारी अधिकारी	2	1	1	लेवल 15
13.	आबकारी निरीक्षक	2	-	2	लेवल 11
14.	खनि अभियन्ता	2	-	2	लेवल 16

15.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1	लेवल 14
16.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1	लेवल 10
17.	फोरमेन	1	-	1	लेवल 10
18.	खनिज रक्षक	1	-	1	लेवल 10
19.	तहसीलदार	2	2	-	लेवल 12
20.	निरीक्षक भू–अभिलेख	1	-	1	लेवल 10
21.	पटवारी	1	-	1	लेवल 8
22.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	-	1	लेवल 12
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	-	1	लेवल 11
24.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-	लेवल 16
25.	प्रोग्रामर	1	1	-	लेवल 12
26.	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1	लेवल 10
27.	निजी सचिव	1	1	-	लेवल 15
28.	निजी सहायक	2	2	-	लेवल 11
29.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-	लेवल 12
30.	उपविधि परामर्शी	1	-	1	लेवल 18
31.	निरीक्षक सहकारिता	3	-	3	लेवल 10
32.	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1	लेवल 10
33.	वरि. सहायक	1	1	-	लेवल 8
34.	कनि. सहायक	2	2	-	लेवल 5
35.	वाहन चालक	3	3	-	लेवल 5
36.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6	-	लेवल 1
37.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	2	1	लेवल 12

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणो पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

आय व्ययक अनुमान 2022–23

राशि लाखों में

	मद	आय व्ययक अनुमान 2022–23
	2047–अन्य राजकोषीय सेवाएं 00– 800–अन्य व्यय 01–राजस्व आसूचना विभाग 02–प्रधान कार्यालय प्रतिबद्ध	
	मदवार वर्गीकरण	
	01 संवेतन	460.00
	03 यात्रा व्यय	1.25
	04 चिकित्सा व्यय	0.01
	05 कार्यालय व्यय	4.00
	06 वाहनों का क्रय	0.01
	07 कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.20
	11 विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	5.50
	15 गुप्त सेवा व्यय	6.00
	29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	0.01
	36 वाहनों का किराया	23.76
	41 संविदा व्यय	39.00
	42 प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	4.00
	62 कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	11.20
	योग (2047)	**555.94**
	4047– अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 00– 800–अन्य व्यय 03–राजस्व आसूचना विभाग 00–	
	मदवार वर्गीकरण	
	62 कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय	1.50
	योग (4047)	**1.50**
	कुल योग	**557.44**

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

लागू नहीं

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रो या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टिया

लागू नहीं

14. किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध मे ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमे किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

लागू नहीं

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद एवं अन्य विवरण

विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

लागू नही